

संख्या

2271

पत्रावली सं०-1MBD-2/201

दिनांक

13.08.09



सोसाइटी-रजिस्ट्रीकरण
का
प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21,1860 के अधीन)

संख्या 909 2009 2010

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि लिटिल फ्लॉवर -

रजिस्ट्रेशन ल सोसाइटी माहल सराय

जलालाबाद तहजीबाबाद जिला बिजनौर

को आज उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 ई० के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है। यह प्रमाण-पत्र 10-8-2014

तक विधिमान्य होगा।

आज दिनांक 11 अगस्त दो हजार 11 को

मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

प्रमाण

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

प्रेषक,

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,
बिजनौर।

सेवा में,

प्रबन्धक,
मदरसा लिटिल फ्लावर
कस्बा जलालाबाद ब्लाक नजीबाबाद

पत्रांक : 2860 / अ0स0क0 / मदरसा मान्यता / 2012-13

दिनांक : 12/5/12

विषय : मदरसे को तहतानिया (कक्षा 1 से 5 तक) की नवीन अस्थाई मान्यता दिए जाने के सम्बंध में।

उपर्युक्त विषयक सूच्य है कि आपके मदरसे को तहतानिया की नवीन अस्थाई मान्यता दिए जाने का प्रकरण जिला मान्यता समिति के समक्ष दिनांक 11-05-2012 को प्रस्तुत किया गया। मान्यता समिति के अनुसार आपके मदरसे को तहतानिया (कक्षा 1 से 5 तक) नवीन अस्थाई मान्यता शासनादेश संख्या-1126/52-3-2003-11(4)/2003, दिनांक 22-4-2003 में दिए गए निर्देशानुसार निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती हैं :-

1. मदरसे में उसके सुचारु रूप से संचालन के लिए उस मदरसे के प्रबन्धाधिकरण द्वारा यथा आवश्यकता वित्तीय संसाधन स्वयं उपलब्ध किए जायेंगे।
2. मदरसे में अरबी-फारसी बोर्ड द्वारा निहित पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों से भिन्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जाएगी और न ही पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जाएगा।
3. मदरसे के प्रबन्ध या उसके कार्यों का प्रबन्ध करने वाले अन्य व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि समय-समय पर जारी किए गए विधिपूर्ण निर्देशों का पालन करेगा।
4. मदरसा विभाग के नियमों और समय-समय पर दिए गए निर्देशों और आदेशों का पालन करेगा।
5. मदरसे के छात्र/छात्राओं से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा, अर्थात् उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी।
6. मदरसे की समस्त निधियों का लेखा-जोखा उचित रूप में रखा जाएगा, जिसे केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा किया जाएगा, जो केवल संयुक्त हस्ताक्षर से निकाला जा सकेगा।
7. मदरसे में शिक्षा का माध्यम उर्दू होगा।
8. विभाग द्वारा समय-समय पर मदरसे का निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के समय समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने आवश्यक है।
9. यदि मदरसे की कमेटी अथवा सदस्य किसी समय बदला जाता है, तो उसकी पूर्ण जानकारी इस कार्यालय को उपलब्ध करानी आवश्यक होगी।
10. मदरसे में तैनात समस्त शिक्षकों की सूची एवं शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियां इस कार्यालय को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
11. मदरसे में निर्धारित माप के पक्के कमरे उपलब्ध होने आवश्यक हैं।
12. मदरसे की स्थाई मान्यता हेतु एक वर्ष उपरान्त आवेदन किया जाएगा तथा स्थाई मान्यता हेतु निर्धारित की गयी सभी शर्तों को इस अवधि में पूरा करना आवश्यक होगा। स्थाई मान्यता हेतु मदरसे का अपना निजी भवन होना अनिवार्य है।
13. मदरसे की अस्थाई मान्यता तब तक चलती रहेगी जब तक स्थाई मान्यता की शर्तें पूरी नहीं की जाती हैं। यदि उक्त निर्देशों/विभागीय निर्देश एवं कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों का आपके द्वारा पालन नहीं किया जाता है तो प्रदत्त मान्यता किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
बिजनौर

पत्रांक / दिनांक उक्त
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0 620 इन्दिरा भवन, लखनऊ।
2. रजिस्ट्रार अरबी-फारसी मदरसाज, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. सचिव अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बिजनौर।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
बिजनौर

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|
| 1. Madarsa ID: | 134200775 | 2. Madarsa Registration No: | 2860 | 3. Madarsa Name: | MADARSA LITTELE FLOWER JALALABAD |
| 4. मदरसे का पता : | MOHALLA MAHAL SARAI POST JALALABABAD TEH NAJIBABAD | 5. मदरसे की समिति/ट्रस्ट का नाम: | LITTLE FLOWER EDUCATIONAL SOCIETY JALALABAD | 6. मदरसे की समिति/ट्रस्ट का पता : | MOHALLA MAHAL SARAI POST JALALABABAD TEH NAJIBABAD |
| 7. नवीकरण का दिनांक कब से: | 06/06/2016 | 8. नवीकरण का दिनांक कब तक: | 05/06/2021 | 9. प्रबंधक/ट्रस्टी का नाम : | ZAFAR HUSSAIN |
| 10. प्रबंधक/ट्रस्टी का पद: | ZAFAR HUSSAIN | 11. नियुक्ति प्राधिकारी का नाम : | SHAIKH SAMEER | 12. नियुक्ति प्राधिकारी का पद नाम: | Treasurer |
| 13. नियुक्ति प्राधिकारी का पता: | MOHALLA PATHANPURA NAJIBABAD | 14. मदरसे का मान्यता का स्तर: | Tahtaniya | 15. मदरसे का मान्यता की दिनांक: | 12/05/2012 |
| 16. मदरसे के मान्यता का प्रकार: | अस्थायी | 17. मदरसे की स्थायी मान्यता की दिनांक: | | 18. समिति की पंजीकरण संख्या: | 909 |
| 19. समिति की पंजीकरण दिनांक: | 11/08/2009 | 20. मदरसा निजी भूमि: | किराये का भवन मे | 21. मदरसा के अनुदान की स्थिति: | NO |
| 22. अनुदान सूची पर लिख जाने का शसनादेश संख्या: | | 23. अनुदान सूची पर लिया जाने का शसनादेश दिनांक: | | 24. मदरसा अधुनिकीकरण की स्थिति: | NO |
| 25. अधुनिकीकरण योजना से आच्छादन का दिनांक: | | 26. मदरसा मिनी आईटीआई योजना की स्थिति: | NO | 27. मदरसा मिनी आईटीआई योजना से आच्छादन की दिनांक: | |

28. छत्र संख्या का विवरण

| क्रम संख्या | कक्षा का नाम | संख्या |
|-------------|--------------|--------|
| | ताहतानियां | 148 |
| | फौकानियां | 0 |
| | आलिया | 0 |
| | उच्च आलिया | 0 |

29. भवन का विवरण :

| कक्षा का नाम | कक्षों की संख्या | माप |
|---------------------|------------------|-----------------|
| ताहतानिया | 4 | 150,150,150,150 |
| कार्यालय | 1 | 150 |
| प्रधानाचार्य | 1 | 150 |
| अन्य कमरों का विवरण | 4 | 150,150,150,150 |

मदरसा सम्बन्धी दस्तावेज़:

| | | |
|--------------------------|--|---------------------------------------|
| 30. मान्यता प्रमाण पत्र: | 31. स्थायी /अस्थायी मान्यता प्रमाण पत्र: | 32. मदरसा के भवन का (रेंट एग्रीमेंट): |
| | | |